

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(3)नविवि/ मनोहरपुर/2024

जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को मनोहरपुर (जिला-जयपुर ग्रामीण) के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	मनोहरपुर	MANOHARPUR
2.	नवलपुरा	NAWALPURA
3.	प्रतापपुरा	PRATAPPURA
4.	कल्याणपुरा	KALYANPURA
5.	शिवपुरी	SHIVPURI
6.	टोडी	TODI

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर ग्रामीण।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मनोहरपुर (जिला-जयपुर ग्रामीण)।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम